अध्याय 5

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय जवाबदेही

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का लेखा

5.1 छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पंचायतों (तीनों स्तरों) का लेखा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन संधारित किया जाएगा।

लेखों का संधारण

5.2 जिला पंचायत का लेखा अधिकारी लेखा शाखा का प्रमुख होगा जो वित्त विभाग द्वारा पदांकित होगा। यह शाखा वित्त के साथ-साथ अंकेक्षण संबंधी कार्य भी देखेगी।

5.3 लेखा अधिकारी वार्षिक लेखे और बजट तैयार करने से संबंधित सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, साथ ही जिला पंचायत को वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा।

5.4 लेखा अधिकारी जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को स्वीकृत बजट के अनुसार सभी योजनाओं के लिए राशि के वितरण हेतु सलाह देगा। पंचायती राज संस्थाएं वर्ष 2003 की वर्गीकरण संहिता का उपयोग करती हैं।

5.5 राज्य में जिला पंचायत और जनपद पंचायत द्वारा द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली तथा ग्राम पंचायत द्वारा एकल प्रविष्टि लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में भी द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली का प्रयोग भविष्य में किया जाना है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में लेजर पंजी एवं रोकड़ पुस्तिका दोनों संधारित की जाती हैं।

ई-लेखा प्रणाली का प्रयोग

5.6 पंचायत के सभी तीन स्तरों पर लेखा संधारण पद्धति हस्त-लिखित है। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने प्रियासॉफ्ट (पंचायती राज संस्थाएं लेखा सॉफ्टवेयर) विकसित किया है, जो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लेखा संधारण के लिए वेब आधारित लेखा प्रबंधन है। यद्यपि वेब आधारित लेखा प्रबंधन का पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर उपयोग नहीं किया जा रहा है।

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका

5.7 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग में लेखा के मद शीर्ष का विभाजन इस प्रकार है :- मांग संख्या 15 (अनुसूचित जाति उपयोजना), 80 (सामान्य योजना) एवं 82 (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)।

5.8 पंचायतों द्वारा नकद और जमा (Cash and Accrual) आधारित लेखा पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। छोटे लेन-देन के लिए नकद एवं बड़े लेन-देन के लिए जमा आधारित लेखा पद्धति का अनुपालन किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण

5.9 छत्तीसगढ़ राज्य के अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखों का अंकेक्षण, राज्य सरकार के अधीन एक स्वतंत्र अंकेक्षण संस्था द्वारा किया जाएगा।

5.10 पंचायतों के अंकेक्षण के संदर्भ में 11वें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की है कि पंचायतों के लेखा संबंधी नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं संधारण का उत्तरदायित्व तथा उनका अंकेक्षण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सुपुर्द होना चाहिए, जो अपने कर्मचारी या किसी बाह्य संस्था से कार्य संपन्न कराए।

5.11 11वें वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा या कोई अन्य संस्था जो पंचायत लेखों के अंकेक्षण के लिए नियत की जाए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तकनीकी एवं प्रशासकीय पर्यवेक्षण में कार्य करेगी।

5.12 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार एवं वैधानिक प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2011 की शर्तों के अनुपालन में नगरीय स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण पर तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रदान किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

5.13 महालेखा परीक्षक ने अपने वर्ष 2016 के प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं के लेखा प्रबंधन से संबंधित विषयों पर अनेक टिप्पणियाँ की हैं।

5.14 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक पंचायती राज संस्थाओं की 450 इकाईयों का अंकेक्षण कर 2868 कंडिकाएं जारी की गई थीं, जिसमें से 2835 (99%) कंडिकाएं लंबित रहीं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अंकेक्षण कंडिकाओं की टिप्पणियों के निराकरण हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण लंबित अंकेक्षण कंडिका में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है।

स्थानीय निधि संपरीक्षा

5.15 स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक अंकेक्षण योजना बनाई जाती है।

5.16 स्थानीय निधि संपरीक्षा की यह जिम्मेदारी है कि वह मैदानी स्तर के अंकेक्षण एवं लेखा कर्मियों को पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु आवश्यक मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करे।

आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं में लंबित अंकेक्षण कंडिकाओं की संख्या में कमी लाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाए एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाए।

5.17 स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ का कार्यालय नया रायपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत 6 क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ तथा अम्बिकापुर में स्थित हैं।

पिछले तीन वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं में अंकेक्षण की स्थिति तालिका क्र. 5.2 में दर्शायी गई है।

तालिका क्र. 5.2

पंचायती राज संस्थाओं में अंकेक्षण की स्थिति

पंचायती राज संस्था	क्षेत्रीय कार्यालय	अंकेक्षण का लक्ष्य	सम्पादित अंकेक्षण		
			2015-16	2016-17	2017-18
ग्राम पंचायत	रायपुर	2251	2224	2240	2251
	बिलासपुर	1626	1465	1581	1626
	जगदलपुर	1628	1536	1565	1628
	राजनांदगांव	2364	2302	2347	2364
	रायगढ़	1578	1556	1575	1578
	अम्बिकापुर	1524	1515	1524	1524
योग		**10971**	**10598**	**10832**	**10971**
जनपद पंचायत	रायपुर	24	18	22	24
	बिलासपुर	19	2	10	19
	जगदलपुर	32	24	27	32
	राजनांदगांव	25	14	23	25

	रायगढ़	22	22	22	22
	अम्बिकापुर	24	22	24	24
	योग	**146**	**102**	**128**	**146**
जिला पंचायत	रायपुर	5	4	5	5
	बिलासपुर	3	0	2	3
	जगदलपुर	7	6	7	7
	राजनांदगांव	5	3	3	5
	रायगढ़	3	3	3	3
	अम्बिकापुर	2	2	2	2
	योग	**25**	**18**	**22**	**25**

स्रोतः संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़

पंचायती राज संस्थाओं का प्रशासन एवं पदाधिकारी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

5.18 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग 2 प्रभागों में विभाजित है, यथा पंचायत प्रभाग (संचालनालय) तथा ग्रामीण विकास प्रभाग। विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। पंचायत प्रभाग के प्रमुख, संचालक पंचायत होते हैं।

5.19 ग्रामीण विकास प्रभाग के प्रमुख विकास आयुक्त होते हैं। यह प्रभाग विकासमूलक योजनाओं को क्रियान्वित करता है। इसी प्रभाग के अंतर्गत तकनीकी शाखा (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) है, जिसके प्रमुख मुख्य अभियंता होते हैं। यह शाखा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करती है एवं पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी सलाह देती है।

5.20 ग्रामीण विकास प्रभाग की अधीनस्थ संस्थाएं निम्नानुसार हैं :-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी योजना।
2. सामाजिक अंकेक्षण इकाई।
3. दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)।
6. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण।
7. छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण।
8. ग्रामीण सम्पर्क प्रशिक्षण सह अनुसंधान केन्द्र।
9. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रशिक्षण संस्था (ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान)

5.21 पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख निम्नानुसार होते हैं :- अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत तथा सरपंच ग्राम पंचायत। इनका प्रशासनिक कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व जनपद पंचायत और पंचायत सचिव द्वारा सम्पादित किया जाता है।

जिला पंचायत

5.22 प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। एक जिला पंचायत में लगभग 10 से 35 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य चुने जाते हैं। संसद सदस्य, विधायक और जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत का हिस्सा होते हैं। प्रत्येक जिला पंचायत का नेतृत्व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो चुने हुए सदस्यों के बीच में से, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

जनपद पंचायत

5.23 प्रत्येक विकासखंड में जनपद पंचायत का गठन किया जाता है। एक जनपद पंचायत में 10 से 25 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र, पूर्णतः या अंशतः जिन जनपद पंचायतों में आता है वे उन सभी जनपद पंचायतों के पदेन सदस्य होते हैं।

5.24 प्रत्येक जनपद पंचायत के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों का 1/5वां हिस्सा, एक वर्ष की अवधि के लिए आवर्तन (रोटेशन) के आधार पर जनपद पंचायत के आमंत्रित सदस्य होते हैं जो लॉटरी के आधार पर चुने जाते हैं।

ग्राम पंचायत

5.25 ग्राम पंचायतें स्थानीय स्व-शासन की सबसे छोटी ईकाई होती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 वार्डों में विभाजित की जाती है। प्रत्येक वार्ड से पांच वर्ष की अवधि के लिए पंच का चुनाव किया जाता है।

5.26 ग्राम पंचायत में चुने हुए पंच होते हैं। एक सरपंच होता है, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। एक उप सरपंच का भी चुनाव किया जाता है जो कि सरपंच के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव भी होता है, जो एक या अधिक ग्राम पंचायतों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

5.27 केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रशासकीय कार्य, लेखा संधारण, अंकेक्षण, करों की वसूली आदि अनेक कार्य ग्राम पंचायतों में सचिव के माध्यम से सम्पन्न किए जाते हैं। आयोग द्वारा आयोजित सभी संभाग स्तरीय बैठकों में ग्राम पंचायतों में सचिव के अतिरिक्त एक अन्य कर्मचारी पदस्थ करने की पुरजोर मांग की गई है।

आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान हो।

ग्राम सभा

5.28 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 राजस्व और वन ग्राम दोनों के संबंध में ग्राम सभा को परिभाषित करता है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित गांवों की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के अंतर्गत ग्राम सभा गठित की जाती है। तद्नुसार निम्नलिखित क्षेत्र के लिए पृथक एक ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है :-

क) ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए,

ख) खेड़ा या खेड़ों (हेमलेट्स) के समूह जिसमें मोहल्ला, मजरा, टोला या पारा आदि सम्मिलित हैं; तथा

ग) आवास या आवासों का समूह, जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो।

ग्राम पंचायत के सरपंच को प्रत्येक तिमाही में एक बार ग्राम सभा की बैठक आहूत किया जाना आवश्यक है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम अपने सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, जिनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में कोरम ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई होता है जिसमें कम से कम एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। सामान्य क्षेत्रों में बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा एवं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाती है। अन्य

शब्दों में अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच, उप सरपंच और अन्य किसी पंच को ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता से प्रतिबंधित किया गया है।

परिशिष्ट 5.1 में राज्य में ग्राम सभा के वैधानिक कार्यों को दर्शाया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा को व्यापक उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की "वॉयस रिकॉर्डिंग" की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा और पंचायत

पेसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा और पंचायत की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :-

1. सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करना,
2. अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन अथवा पुर्नवासन के पूर्व अनिवार्य परामर्श करना,
3. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के दोहन के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनि पट्टा और रिकॉनिसन्स परमिट जारी करने के पूर्व अनिवार्य अनुशंसा प्राप्त करना।

पंचायत चुनाव

क. (1) पंचायत अधिनियम में ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की व्यवस्था है।

(2) इन तीनों स्तरों की पंचायतों में अध्यक्ष पदों और स्थानों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अवसर दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में उक्त पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण है बशर्ते कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल सीटों के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो। इसके साथ ही सभी स्तरों की पंचायतों में अध्यक्ष के पद हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यदि जनपद और जिला पंचायत स्तर पर उस अनुपात में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके मनोनयन के लिए भी प्रावधान किया गया है।

(3) अध्यक्षों के न्यूनतम 50 प्रतिशत पदों के आरक्षण के लिए वर्ष 2008 में पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया है।

(4) लोकसभा एवं राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य और विधायक जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, विधायकगण जनपद पंचायत के भी सदस्य होते हैं।

(5) ग्राम पंचायतों के 1/5 सरपंच प्रति वर्ष रोटेशन के आधार पर जनपद पंचायत के सदस्य बनाए जाते हैं।

(6) पंचायतों के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अध्यक्ष पदों पर रोटेशन के आधार पर दो सत्रों की समयावधि का प्रावधान करने के लिए पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया है।

ख. छत्तीसगढ़ की पंचायतों में जनप्रतिनिधियों की कुल संख्या 170358 होती है। अध्यक्ष, सदस्य, सरपंच एवं पंचों की श्रेणीवार संख्या तालिका 5.3 में दी गई है।

तालिका 5.3
पंचायती राज संस्थाओं के श्रेणीवार जनप्रतिनिधि

क्रमांक	पंचायती राज संस्थाएं	अध्यक्ष/सरपंच			सदस्य/पंच		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	जिला पंचायत	12	15	27	179	223	402
2	जनपद पंचायत	56	90	146	1378	1595	2973
3	ग्राम पंचायत	5410	5461	10971	69931	86008	155939
	योग	**5478**	**5566**	**11144**	**71488**	**87826**	**159314**

स्रोत - प्रशासकीय प्रतिवेदन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 2015-16

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रथम, वर्ष 2009-10 में द्वितीय एवं वर्ष 2014-15 में तृतीय पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए गए हैं। वर्ष 2014-15 के निर्वाचन में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 1,69,119 गैर सरकारी प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। इनमें अनुसूचित जाति के 20,446 (अर्थात् 12 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति के 65,976 (अर्थात् 39 प्रतिशत) सदस्य थे। निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 92,866 अर्थात् कुल में से 55 प्रतिशत थी।

कार्यकारी प्रबंधन में परास्थित संगठन (पेरास्टेटल्स) की भूमिका

5.29 जिला पंचायत के अंतर्गत वृहत् स्तर पर प्रशासकीय तथा विकासमूलक कार्य किए जाते हैं। लेकिन जिले में एक समानान्तर प्रशासनिक कार्यप्रणाली अस्तित्व में है जिसका नेतृत्व एवं समन्वय राज्य स्तरीय विभिन्न विभाग के जिलों में पदस्थ अधिकारियों द्वारा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है।

5.30 राज्य स्तरीय मामलों में अनेक समितियां, जैसे शाला प्रबंधन समिति, वन प्रबंधन समिति और इसी तरह की अन्य संस्थाओं का अस्तित्व पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को अवरुद्ध करता है।

5.31 जमीनी स्तर पर अनेक संस्थाओं व समितियों द्वारा कार्य करने की यह समानांतर प्रणाली विकेन्द्रीकरण की दिशा में न होकर उसमें रुकावट डालने वाली होती है। उदाहरण के लिए नया रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को नया रायपुर विकास प्राधिकरण से विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुमति लेनी होती है।

आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त कोषों से किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए उन्हें नया रायपुर विकास प्राधिकरण से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

5.32 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाली राशि पूर्णतः राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। यह व्यवस्था अधिकांश प्रकरणों में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारी स्वायत्तता में बाधा उत्पन्न करती है।

5.33 *आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए।*

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆